588वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 अगस्त 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 588वीं बैठक दिनांक 16/08/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. **<u>Case No 8930/2022 M/s Madhya Pradesh Minerals Supply Company, Ward No. 8, P.O. Jaitwara, Dist. Satna, MP - 485221 Prior Environment Clearance for Bauxite Mine in an area of 16.18 ha. (Bauxite - 40010 Tonne per annum, Overburden - 1750 cum per annum) (Khasra No. 50(P)), Village - Salaiya, Tehsil - Semariya, Dist. Rewa (MP) .EIA Consultant: M/s. Creative Enviro Services, Bhopal.</u>**

   This is case of Bauxite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 50(P)), Village - Salaiya, Tehsil - Semariya, Dist. Rewa (MP) 16.18 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

   राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 547वीं दिनांक 09/02/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

   आज दिनांक 16/08/22 को परियोजना प्रस्तावक की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री एन.पी. मिश्रा और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान 50 वर्ष हेतु 1982 से 2032 तक के लिए स्वीकृत है जिसमें 1993 तक खनन् कार्य 04.80 हे. क्षेत्र में किया गया हैं उसके उपरांत खनन् कार्य बंद है। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के दक्षिण पश्चिम भाग में कुछ मकान/आबादी दिख रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया

कि इनमें से अधिकतर मकान पुराने एवं टूटे हुए है तथा कुछ मकानों में उनकी खदान में काम करने वाले मजदूर रहते है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् क्षेत्र के अंदर कुल 15 मकान है, जिसमें 30 मजदूर निवासरत है । इनकी सुरक्षा हेतु आवंटित क्षेत्र के अंदर स्थित मकानों से प्रस्तावित खनन् क्षेत्र तक 100 मीटर का नॉन माईनिंग जोन छोडा गया है तथा इस क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव दिया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान लगभग 16,000 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्रस्ताव था जिसको अब बढ़ाकर 20,300 किया गया है तथा अतिरिक्त 4,300 वृक्षों का वृक्षारोपण इस नॉन माईनिंग क्षेत्र में किया जायेगा जिसमें से इस वर्षाकाल में 500 पौधों का वृक्षारोपण किया जा चुका हैं । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि बॉक्साईट खनन् के दौरान ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है तथा खनन् कार्य अधिकतम 03 से 06 मीटर की गहराई तक किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वर्तमान में स्वीकृत खनन् क्षेत्र के दक्षिणी पश्चिमी भाग में 776 पेड़ लगे है तथा इनमें से कोई भी पेड नही काटा जायेगा क्योकि इस क्षेत्र को नॉन माईनिंग घोषित किया गया है तथा इसी क्षेत्र में अतिरिक्त 3,500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् से लगभग 1750 घन मीटर प्रतिवर्ष ओवर वार्डन निकलेगा जिसे बैकफिल किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा वृक्षारोपण, सडक व स्कूल की व्यवस्था, तालाब के गहरीकरण में सहयोग, पानी की अधूरी निर्मित टंकी का निर्माण इत्यादि कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा लगभग 19,500 वृक्ष लगाने का प्रस्ताव सड़क की मरम्मत, स्कूल हेतु सहयोग, तालाब गहरीकरण हेतु जे.सी.बी. उपलब्ध कराने का कमिटमेंट, सलैया गांव में एक हेंड पंप लगाने का प्रस्ताव दिया गया है । इसी प्रकार खदान का पानी खेतों में न जाये इस हेतु खदान के चारो ओर गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव दिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए., पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता बाक्साइट – 40,010 टन प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 55.46 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 55.46 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 29.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 03 वर्षो में पूर्ण किये जाये :–

Issues		Cost in Lacs
Providing infrastructure support to the Chitti Village	One kitchen room with platform, 2 Toilet, two computers at Govt. primary School, Chitti with facility of water through bore well at School. 5KW solar panel with power back-up	6.00

Deepening of pond or development of new pond	After providing land by gram panchayat, pond will be developed and deepening of existing pond	3.00
To provide drinking water facility	Provision of two handpump in village Chitti at Adivasi Mohalla	4.00
Development of play ground	After providing of land by gram panchayat, play ground will be developed	2.00
Development of Mukti dham and plantation	Two Shade will be constructed by us with 100 number of plantation	3.00
Adaptation of Anganwadi	Adaptation of Anganwadi at Chitti vilalge for 1yr for supply of food	1.00
Construction of water Tank	Construction of water Tank	5.00
Construction of Gowshala		5.00
Total		**29.00**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 20,300 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख–रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा :–

Plant Species for Mine Area, Transportation road and its Boundary			
Phase	**Location**	**Name of Tree**	**Nos.**
1st year	In barrier zone	Katang bans, Karanj,, Khamer, Neem, Sissoo,, Aanwla, Jangle Jalbi , Chirol and other local species (70 cmX70cmX70cm)	2000
2nd year	In barrier zone	Katang bans, Karanj,, Khamer, Neem, Sissoo,, Aanwla, Jangle Jalbi , Chirol and other local species (70 cmX70cmX70cm)	4300
2nd to CP	Backfilled area	Katang bans, Karanj,, Khamer, Neem, Sissoo,, Aanwla, Jangle Jalbi , Chirol and other local species (2mtrs X2 mtrs)	12000
1st year to 2nd year	Along the transport route (300m) 2.5m distance with 01m height	Jamun, Arjun, Khamar, Neem, Gular, Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal, and other local species	240
1st year	For village distribution	Neem, Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	2000

2. <u>Case No 8834/2021 M/s Devis Surgico, 3, Giriraj Market, Lohiya Bazar, Laskar, Dist. Gwalior, MP - 474009 Prior Environment Clearance for Capacity Expansion from 100 kg per hour to 350 kg per hour (by addition of rotary kiln of 250 kg per hour) in Common Bio Medico Bio Medical Waste Treatment Facility at Village - Antri, Tehsil - Chinor, Dist. Gwalior, (MP) (7da) EIA Consultant: M/s. Creative Enviro Services , Bhopal .</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Capacity Expansion from 100 kg per hour to 350 kg per hour (by addition of rotary kiln of 250 kg per hour) in Common Bio Medico Bio Medical Waste Treatment Facility at Village - Antri, Tehsil - Chinor, Dist. Gwalior, MP.

The ToR was recommended in the 535th SEAC meeting dated 16/12/21.

The case was presented by the PP Shri Sanjay Sasode & Mr. Manoj Jaiswal and their Environmental Consultant Mr. Umesh Mishra, M/s. Creative Enviro Services, Bhopal. During presentation, PP submitted that this unit is in operation since in 21st April year 2019 and environment clearance was issued vide no 1801/SEIAA/2018 dated 28.02.2018. PP further stated that the proposed expansion project of setting up of another kiln of 250 kg per hr within existing Common Bio-medical Waste Treatment Facility already having 100 kg per hour rotary kiln Autoclave, Shredder, Storage and Effluent Treatment Facility. Following will be the configuration of the facility:

Sl. No.	Equipment	Number		Installed Capacity	
		Existing	Proposed	Existing	Proposed
1	Rotary Kiln (with automatic waste feeding conveyor)	01	01	100 kg per hr	250 kg per hr Rotary Kiln (with automatic waste feeding & two second flue gas residence secondary chamber, heat exchanger, droplet separator, venture scrubber, baggon filter, id fan ,chimney.
2	Autoclave	02	01	0.25 m3	250 lit with PLC
3	Shredder	01	01	50 kg per hour	100 Kg per hour with latest technology with automatic conveyour feeding system
4	Effluent Treatment Plant	01	-	10 KLD	15 KLD With pressure flow meter measuring devices.(as per CPCB norms

During presentation, it was submitted by the PP that the unit is located in Antri village and in the nearby area 05-06 other industries are also operating/under construction such as one on the north-east side, (approx. 900 meters away), one on the western side

approx 90 meters away and another under construction on SW side approx 200 meters away & NE side approx 800 meters away. The nearest habitation is on SW side approx. 700 meters and eastern side approx 1200 meters. During discussion, it was observed by the committee that PP has not uploaded the copy of previous EC and previous public hearing documents. The certified compliance report issued by MoEF&CC vide letter no. 18-B-170/2019 dated 04/07/22 has stated that issues raised during public hearing are not resolved and thus stated partially complied. PP was asked to submit complete details on this. Simillarly, committee asked PP why monitoring of dioxine & furan, VOC & HC is not carriedout. The proposed expansion is for 250 kg/hr, thus committee asked PP to justify their proposal considering other BMW facilities operating within 75 kms. The online uploaded EIA begins with Chaptor-05 for which PP submitted that during uploading of documents; by mistake part-2 is uploaded first and then part-1which causes such situation. PP submittd that they will again upload the EIA with other details saught by committee. After presentation, PP was asked to submit response on following:

1. Copy of previous EC letter with conditions issued by compitent authority.
2. Copy of previous public hearing document and compliance status of commitment made in public hearing.
3. Justification, why monitoring of dioxine & furan, VOC & HC is not carriedout.
4. The proposed site is not in industrial area thus please justify the location criteria as per CPCB guidelines and protection measures proposed considering “Best Available Technology” for all sensitivity features 500 meters.
5. The proposed expansion is for 250 kg/hr of incineration, thus justify expansion proposal considering other BMW facilities operating within 75 kms.
6. As per from-2 point no. 13-Only DG set fuel details are provided, thus incinerator in CNG operatd. Please justify and provide complete details.
7. As per from-2 point no. 16- complete details of proposed RO plant. When the total WW volume is only 3.00 KLD why 15 KLD ETP is proposed?
8. Revised CER programme as suggested by committee with time schedule for its completion.
9. Revised plantation species as suggested by committee.

प्रकरण आज सेक की 588वीं बैठक दिनांक 16/08/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

3. <u>Case No 9275/2022 M/s Thinq Pharma – CRO Pvt. Ltd., Joint Managing Director, A/30, Thinq House, Road No. 10, MIDC Wagle Estate, Thane West (MH)-400604 Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of Manufacturing of Active Pharmaceutical Ingredients and Bluk Drug Intermediates at Plot No. 40 & 42, Industrial Estate-3, Bagdoon, Tehsil-Pithampur, District-Dhar (MP) Consultant: M/s. Creative Enviro Services , Bhopal .</u>

This is case of Proposed Expansion of Manufacturing of Active Pharmaceutical Ingredients and Bluk Drug Intermediates at Plot No. 40 & 42, Industrial Estate-3, Bagdoon, Tehsil-Pithampur, District-Dhar (MP).

The case was presented for ToR by the PP Dr. Prashant Ranade, VP, R&D (on line) and their Environmental Consultant Mr. Manish Chandekar, M/s. Creative Enviro Services, Bhopal. During presentation, PP submittd that this is an existing unit and they are proposing expansion through change in product mix, some new products and expansion in some existing products but the total capacity of the production will remain unchanged i.e. 195 MT/year of API manufacturing. Folowing details were furnished by PP during presentation:-

- M/s THINQ PHARMA CRO LTD. (company) proposed to expand the plant, it is a brownfield existing project, currently manufacturing API and API intermediates under {Synthetic Organic Chemicals-5(f)} at the notified industrial area, Plot No. M 40 & 42 Industrial Estate -3, Bagdoon, Pithampur, Dist. Dhar (M.P.).
- Existing EC detail: 849/SEIAA/2017 dated 23/06/2017
- Due to change in recent business scenario, we proposed total 24 Products wherein 11 New Products are introduced, and 13 Old Products remain unchanged.
- To be noted that, there is no increase in Pollution load while operations & existing total quantity of the products is alike proposed quantity (i.e 195 MTPA).
- Generated Effluent is treated into existing ZLD based ETP plant as the total effluent is reducing after expansion.
- Water Consumption and Effluent is reduced by proposed change in production mix.

AREA STATEMENT

Sr. No.	Particulars	Existing (In Sq. Mtr)	Proposed (In Sq. Mtr.	Total (in Sq. Mtr.)
1	Total Land Area	21793.7	0	21793.7
2	Built up area	3765.81	1064.4	4830.21
	Break up of Built-up area			
2.1	API – I	1327.33	0	1327.33
2.2	Warehouse	886.28	0	886.28

2.3	Utility Building	458.55	0	458.55
2.4	Admin QC & QA	306.49	0	306.49
2.5	UG Tank & Pump Room	82.94	0	82.94
2.6	Security	9	0	9
2.7	ETP	401.36	0	401.36
2.8	Drum Storage	147.32	0	147.32
2.9	Acid Drum Storage	147.32	0	147.32
2.10	Proposed option -1 Building (New)	--	895.4	895.4
2.11	Hydrogenation Plant (New)	--	169	169
3	Green Belt - 3 Layer Trees	7088.27	0	7088.27
4	Future Allocation	3396.32	1064.4	2331.92
5	Open Land	3479.78	0	3479.78
6	Road Area	4062.72	0	4062.72

During presentation, it was submitted by PP that small area will also be constructed to accommodate the expansion but green area will not be changed. After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with following additional TOR and as per Annexure-D:

1. PP should provide entire product mix in the EIA report.
2. Detailed plant laypout on A3 size map.
3. All process details with mass balance (productwise) shall be discussed in the EIA report.
4. Landuse pattern obtained from competent authority shall be discussed in EIA report.
5. How project will become “Zero Liquid Discharge” shall be discussed in the EIA report with complete details of treatment scheme, their various details and odour nuisance.
6. Provision for compatible storage of raw materials and finish products shall be studied and discussed in the EIA report.
7. Worst case scenario w.r.t. waste water and hazardous waste should be submitted.
8. Details of solvents and their recovery plan should be discussed in the EIA report.
9. VOC should be monitored in the AAQ.
10. All MSDS should be provided with the EIA report.

11. Industry has to comply with zero discharge for which necessary details should be provided in the EIA report.
12. Land use plans of the plant both existing land use as well as proposed land use and PP should assure that no existing green area shall be altered for which a written commitment be submitted with the EIA report.
13. Details of tree planted with names and number of their species (till date) with height shall be submitted with EIA report.
14. PP should explore possibility of using Biofuel based technology in boilers.
11. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CSR cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CSR cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
12. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
13. Compliance report of previous EC conditions from compitent authority.
14. Safety measures proposed for hydrogenation process.

4. <u>Case No 9277/2022 Shri Rajat Choudhary, Lessee, 424, Village - Hridaypur, Tehsil - Damoh Khas, Dist. Damoh, MP - 470661Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.298 ha. (16200 cum per annum) (Khasra No. 109, 90/1) Village - Jujharpura, Tehsil - Bakaswaha, Dist. Chhatarpur, MP</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 109, 90/1) Village - Jujharpura, Tehsil - Bakaswaha, Dist. Chhatarpur, (MP) 3.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 16/08/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री रजत चौधरी और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंनवायरोटेक इं.प्रा.लि., लखनऊ उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज के परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1304 दिनांक 26/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 04 खदानें कार्यरत है, जिनका कुल रकबा 04.698 हे. होता है तथा इस खदान रकबा 1.298 हे. है, को मिलाकर कुल रकबा 05.996 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है किंतु प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाईन स्वीकार कर परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ है।

आज दिनांक 16/08/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री रजत चौधरी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ. प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि परिवेश पोर्टल के माध्यम से एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 489 दिनांक 26/04/22 सें जारी पत्र मे खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 04 खदानें कार्यरत है, जिनका कुल रकबा 04.698 हे उल्लेखित किया गया है जिसमें त्रुटिवश यह खदान भी 04 खदानों में शामिल कर दी गई है जबकि वास्तव में 500 मीटर की परिधि में इस खदान के अतिरिक्त कुल 03 खदान है जिनका कुल रकबा 3.40 हे. होता है तथा इस खदान को मिलाकर चारो खदानें का कुल रकबा 04.698 हे. होता है जिस कारण यह खदान बी–2 श्रेणी में आती है। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उन्होने कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) से संशोधित पत्र क्रमांक 1744 दिनांक 12/08/22 इस संदर्भ में प्राप्त किया है जिसके अनुसार भी इस खदान के अतिरिक्त कुल 03 खदान है जिनका कुल रकबा 3.40 हे. होता है तथा इस खदान को मिलाकर चारो खदानें का कुल रकबा 04.698 हे. होता है ।

समिति ने यह पाया कि उपरोक्त संशोधित पत्र क्रमांक 1744 दिनांक 12/08/22 परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन प्रस्तुत नही किया गया है तथा सिया के निर्देशानुसार सभी जानकारियॉं ऑन लाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जानी है । अतः परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाये कि वे कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) जिला छतरपुर द्वारा जारी संशोधित पत्र क्रमांक 1744 दिनांक 12/08/22 ऑन लाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा इस हेतु उन्हें एडीएस जारी किया जाये ।

5. <u>Case No 9196/2022 M/s Euphoria Mines & Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, 9A, Paramount Villa, Near Ansal, Shamla Hills, Bhopal - 462013, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 2.10 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 1), Village - Kutiya, Tehsil - Rajnagar, Dist. Chhatarpur (MP)</u>

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1), Village - Kutiya, Tehsil - Rajnagar, Dist. Chhatarpur (MP) 2.10 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

588वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 अगस्त 2022

आज दिनांक 13/06/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 489 दिनांक 26/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह रेत खदान बने नदी पर स्थित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है तथा अनुमोदित खनन् योजना के ''रिप्लेनिशमेंट प्लान'' के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। बैठक के दौरान समिति ने यह पाया कि गूगल इमेज के अनुसार खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में 300 मीटर की दूरी पर स्टॉप डेम स्थित है तथा स्वीकृत खदान स्टॉप डेम के डाऊन स्ट्रीम में है अतः 200 मीटर का सेट–बैक छोड़ा जाये तथा पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत किया जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो नई डी.एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है उसके तालिका (पेज न. 70) क्रमांक–35 में यह खदान दर्शित है जिसमें मानसून के पश्चात् 63,000 घनमीटर रेत की मात्रा दर्शाई गई है तथा डी.एस.आर. के तालिका–27 (पेज न. 81) के अनुसार ''माईनेवल मिनरल पोटेंशियल – कुल मिनरल पोटेंशियल का 60 प्रतिशत'' 37,800 घनमीटर है जो पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु आवेदित मात्रा 10,000 घनमीटर से अधिक है । समिति द्वारा पूछे जाने पर परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज हेतु) का अभी अनुमोदन नहीं हुआ है किंतु नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज हेतु) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में 300 मीटर की दूरी पर स्टॉप डेम स्थित है तथा स्वीकृत खदान स्टॉप डेम के डाऊन स्ट्रीम में है अतः 200 मीटर का सेट–बैक दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. ।
- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पौधारोपण योजना।
- समिति द्वरा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 08/08/22 को अपलोड की गई।

परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक 16/08/22 को उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा अपलोड नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसका सिया की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 में अनुमोदन किया जा चुका है, जिसमें तालिका ए–9 के सरल क्रमांक–35 पर इस खदान का विवरण दर्ज है तथा सिया के पत्र क्रमांक 1279 दिनांक 04/08/22 के द्वारा छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन का पत्र जारी कर दिया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पुनरीक्षित सरफेस मेप अपलोड किया गया है जिसमें खदान स्टॉप डेम के कारण उत्तर दिशा में 200 मीटर का सेट बेक छोडा गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 10,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 21.62 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 02.78 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
➢	स्वास्थ्य केंद्र में 10 पलग, गद्दे, चादर एवं ताकिये के साथ	80,000
	योग	80,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2550 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	आम, जामुन, नागर मोथा, सीताफल, नीम, कंरज, चिरौल, खमेर, कटगबॉस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	**2000**
ग्रम कुटिया के शासकीय विघालय मे	कदम, कचनार, अमलतास, सीताफल, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	**50**
ग्रम कुटिया के ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, मुनगा, ऑवला, कठहल, महुआ, आम, अमरूद, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	**500**

योग	2550

6. <u>Case No 9197/2022 M/s Euphoria Mines & Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, 9A, Paramount Villa, Near Ansal, Shamla Hills, Bhopal - 462013 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 4.0 ha. (35000 Cum per annum) (Khasra No. 1400), Village - Sadkar, Tehsil - Chandla, Dist. Chhatarpur (MP)</u>

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1400), Village - Sadkar, Tehsil - Chandla, Dist. Chhatarpur (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

आज दिनांक 13/06/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 489 दिनांक 26/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह रेत खदान केन नदी पर स्थित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है तथा अनुमोदित खनन् योजना के ''रिप्लेनिशमेंट प्लान'' के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो नई डी.एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है उसके तालिका (पेज न. 70) क्रमांक–30 में यह खदान दर्शित है जिसमें मानसून के पश्चात् 1,20,000 घनमीटर रेत की मात्रा दर्शाई गई है तथा डी.एस.आर. के तालिका–27 (पेज न. 80) के अनुसार ''माईनेवल मिनरल पोटेंशियल – कुल मिनरल पोटेंशियल का 60 प्रतिशत'' 72,000 घनमीटर है जो पर्यावरणीय

अभिस्वीकृति हेतु आवेदित मात्रा 35,000 घनमीटर से अधिक है । समिति द्वारा पूछे जाने पर परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज हेतु) का अभी अनुमोदन नहीं हुआ है किंतु नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज हेतु) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पौधारोपण योजना।
- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. ।
- समिति द्वरा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 08/08/22 को अपलोड की गई।

परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक 16/08/22 को उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा अपलोड नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसका सिया की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 में अनुमोदन किया जा चुका है, जिसमें तालिका ए–9 के सरल क्रमांक–30 पर इस खदान का विवरण दर्ज है तथा सिया के पत्र क्रमांक 1279 दिनांक 04/08/22 के द्वारा छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन का पत्र जारी कर दिया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 35,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 25.15 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 02.97 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
➢	स्वास्थ्य केंद्र में 05 व्हील चेयर एवं 05 स्ट्रेचर	1,00,000
	योग	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	आम, जामुन, नागर मोथा, सीताफल, नीम, करंज, चिरौल, खमेर, कटगबॉस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	2000
ग्रम सडकार के ग्राम पंचायत भवन, आगनवाडी एवं शासकीय विघालय मे	कदम, कचनार, अमलतास, सीताफल, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	800
ग्रम सडकार के ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, मुनगा, ऑवला, कठहल, महुआ, आम, अमरूद, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	2000
	योग	4800

7. **Case No 9255/2022 Shri Rajat Choudhary, Lessee, 424, Village - Hridaypur, Damoh Khas, Dist. Damoh, MP - 470661, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.589 ha. (16500 cum per annum) (Khasra No. 114/1, 115/1) Village - Mandhpur, Tehsil - Buxwaha, Dist. Chhatarpur, MP**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 114/1, 115/1) Village - Mandhpur, Tehsil - Buxwaha, Dist. Chhatarpur, (MP) 1.589 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 584वीं बैठक दिनांक 05/07/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

आज दिनांक 13/07/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री रजत चौधरी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1342 दिनांक 30/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही है, अतः प्रश्नाधीन खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कई पेड़ लगे है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान में सागौन के 12 पेड़ लगे है, किंतु इसमें से कोई भी पेड़ काटा नहीं जायेगा तथा जिस क्षेत्र में पेड़ लगे है, उसे नॉन माइनिंग क्षेत्र छोड़ा गया है, जिसे प्रस्तुतीकरण में दिखाया गया है । इसी प्रकार के उत्तरी भाग से 50 मीटर की दूरी पर एच.टी. लाईन निकल रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एच.टी. लाईन 55 मीटर की दूरी पर है तथा 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ने के बाद खनन् क्षेत्र से लगभग 60 मीटर की दूरी पर हो जाती है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ प्रकरण के साथ प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुरानी है, अतः सिया की 724वीं बैठक दिनांक 17/05/22 में लिए गए निर्णयानुसार छतरपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खनन् क्षेत्र की स्थिति तथा छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 12/08/22 को अपलोड की गई।

आज दिनांक 16/08/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री रजत चौधरी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि छतरपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोट सिया के पत्र क्रमांक 326 दिनांक 09/05/22 द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है जिसके पेज क्रमांक–77 पर तालिका के बिंदु क्रमांक 26 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 16,500 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.72 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 03.48 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
➢	ग्राम सुनवाहा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में एक कम्प्यूटर, प्रिंटर, टेबिल के साथ ओर एक अलमारी लाईब्रेरी के लिए	70,000

योग	70,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2300 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	नीम, पीपल, सिस्सु, कंरज, चिरोल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	1000
गैर खनन क्षेत्र	आम, कठहल, नीम, पीपल, बरगद, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	100
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	कदम, कंचनार, चिरोल, नीम, आम, सिस्सु, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	200
ग्रम वासियों मे वितरण हेतु	आंवला, आम, बेल, मुनगा, कटहल, अमरूद, पपीता, नींबू, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	500
ग्राम सुनवाहा में तालाब के किनारे	कदम, नीम, पीपल, कचनार, बरगद, पाकड, महुआ एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	500
	योग	2300

8. <u>Case No. - 5750/2018 M/s K. L. Sharma, Regal Homes, 157, C-Sector, Indrapuri, Bhopal, (M.P.) – 462026.Prior Environment Clearance for Construction of Residential & Commercial Project "Regal Town" (Total Plot Area = 27,860 sqm., Built up Area = 49,678.50 sqm) at Village - Khajuri Kalan, Tehsil - Huzur & Dist. - Bhopal, (M.P.) Category: 8(a) Building & Construction Project. (Violation).</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Construction of Residential & Commercial Project "Regal Town" (Total Plot Area = 27860 sqm., Built up Area = 49678.50 sqm) at Village - Khajuri Kalan, Tehsil - Huzur & Dist. - Bhopal, (M.P.) **<u>Cat. 8(a) Building and Construction Projects.</u>** The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण प्रकरण सेक की 577वीं बैठक दिनांक 11/06/22 में प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था जिसमें परियोजना प्रस्तावक की ओर से डॉ. यशवंत मिश्रा उपस्थित हुए तथा समिति को जानकारी दी कि परियोजना प्रस्तावक श्री के.एल.शर्मा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे प्रस्तुतीकरण में उपस्थित नहीं हो पाये । डॉ. मिश्रा ने बताया कि उनके द्वारा रेमिडिएशन तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी रिसोर्स अगमेंटेंशन प्लॉन से संबंधित कार्य पूरे किये जा चुके है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को वापिस करने के अनुरोध के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया । उनके द्वारा बताया गया कि

नियमानुसार भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा सर्टिफाईड कम्पलाइंस रिपोर्ट पत्र क्रमांक 856 दिनांक 31/12/21 के द्वारा जारी की गई है, जिसमें यह उल्लेखि है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तो का पालन उनके द्वारा किया जा रहा है ।

समिति द्वारा भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा सर्टिफाईड कम्पलाइंस रिपोर्ट पत्र क्रमांक 856 दिनांक 31/12/21 का अवलोकन किया गया तथा पाया कि परियोजना प्रस्तावक निम्न बिंदुओं पर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करें :–

अ. आवेदक ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल की निरीक्षण के दौरान उनको अवगत कराया था कि उनके द्वारा 5511 वर्गमीटर क्षेत्र ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसमें 1182 पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा । अतः इस क्षेत्र में आज दिनांक तक कितने पौधों लगाये गये हैं, उनकी प्रजातिवार सूची मय फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुत करें ।

ब. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु 07 रिचार्ज पिट बनाये जाने थे तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल की निरीक्षण के दिवस तक सिर्फ 02 पिट ही बने थे । अतः आज की स्थिति में कितने रेनवॉटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज पिट बन गये है तथा यदि कुछ बनने बाकी हैं तो क्या योजना है से अवगत करायें।

स. सोलर एनर्जी के उपयोग के अंतर्गत क्या–क्या कार्य किये गये हैं, का विवरण प्रस्तुत करें ।

प्रकरण प्रकरण सेक की 588वीं बैठक दिनांक 16/08/22 में प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था जिसमें परियोजना प्रस्तावक की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि डॉ. यशवंत मिश्रा उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को अभी तक विकसित ग्रीन बेल्ट तथा प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट को ले–आऊट पर दर्शाते हुए तथा प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट हेतु समयवद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए ।

9. <u>राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक क्रमांक 739 दिनांक 29/07/22 तथा बैठक क्रमांक 740 दिनांक 30/07/22 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरण क्रमांक 8148/21, 9231/22, 6769/20, 6770/20, 9214/22, 9137/22, 9223/22, 9119/22, 9222/22, 9221/22, 6376/19, 6534/19, 9224/22, 9225/22, 9210/22, 7555/20, 9227/22, 9228/22, 9245/22, 9024/22, 9230/22, 9243/22, 8581/22, 9244/22, 9250/22, 6638/19, 9009/22, 9249/22, 9206/22, 6417/19, 9162/22, 9200/22, 8670/21, 9159/22, 9256/22 पर चर्चा –</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक क्रमांक 739 दिनांक 29/07/22 तथा बैठक क्रमांक 740 दिनांक 30/07/22 में लिए गए निर्णय अनुसार उपरोक्त प्रकरणों में सेक द्वारा अपनाई जा रही ऑफलाईन प्रक्रिया से सहमत नहीं है, अतः उपरोक्त सभी प्रकरणों में सेक द्वारा वांछित जानकारी एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराई जाये, जिसके संदर्भ

में समिति द्वारा निधारित किया गया कि उपरोक्त सभी प्रकरणों एवं अन्य ऐसे अन्य प्रकरणों में भी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत करने बावत् सेक द्वारा एडीएस जारी किया जाये। समिति के संज्ञान में लाया गया कि प्रकरण क्रमांक 9261/2022 तथा 9268/2022 नवीन डीएसआर में नाम दर्ज न होने के कारण इनका परीक्षण नहीं किया गया था तथा प्रकरण सिया को अग्रेषित किये गये थे । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश द्वारा ऐसे प्रकरणों के संबंध में उनकी 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 में निम्नानुसार निर्णय लिया है:–

''राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया – चूॅकि प्रकरण से संबंधित जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक की अनुशंसा पर सिया द्वारा अनुमोदित की गई है जो कि 05 वर्ष के लिए वैध है एवं जिला स्तर पर नवीन खदानों की स्वीकृति की निरंतर प्रक्रिया होती है अतः ऐसे जिले जिनकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की जा चुकी है उनके द्वारा बाद में स्वीकृत प्रकरणों में जो कि पूर्व में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किए गए है, उन प्रकरणों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किये जाना उचित होगा । पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अनुमोदित होने पर संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा अधिसूचना में निहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समावेश कर जिला पोर्टल पर अपलोड कर सिया एवं सेक को सूचित किया जाये''।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण क्रमांक 9261/2022 तथा 9268/2022 को सेक की आगामी बैठक में चर्चा हेतु रखा जाये तथा इस बैठक में चूॅकि परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, अतः अनुपस्थित माना जाये ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, भोपाल को प्राप्त हो रही नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो पर चर्चा :

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 588 वीं बैठक दिनांक 16/08/2022 मे जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, खनिज अधिकारी एंव श्री दीपक सोलंकी, सहायक भू–वैज्ञानिक भी उपस्थित थे।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त हो रही जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो के बारे मे विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा उपरांत पाया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित प्रपत्र अनुसार सम्पूर्ण जानकारियों का समावेश कुछ जिलों के जिला खनिज अधिकारीयों / प्रभारी अधिकारियों द्वारा आवश्यक संशोधन कर किया जा रहा है, एंव कुछ जिलों मे जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के उन्नयन/अद्यतन करने का कार्य निरंतर जारी है। राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 मे लिये गये निर्णय अनुसार इस बैठक मे संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर प्रस्तुतीकरण करने के निर्देश दिये गये थे जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि संबंधित जिला खनिज अधिकारी यह समझ सके कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन,

2016, इंफोर्समेंट मॉनिटरिंग फॉर सेंड माईनिंग गाईडलाईन, 2020 तथा अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित प्रपत्र अनुसार जानकारियॉ किस आधार पर प्रस्तुत की जानी है ताकि बार–बार इनमें संशोधन की आवश्यकता न पड़े तथा प्रस्तावित संशोधनो पर उसी समय उपस्थित खनिज अधिकारियों को मार्गदर्शन/दिशा निर्देश देकर आवश्यक सुधार हेतु मार्गदर्शन दिया जा सके। प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों/खनिज निरीक्षकों को समिति द्वारा मिनरल पोटेंशियल की गणना करते समय सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग गाइडलाईन्स 2016 मे सुझाये गये कार्य प्रणाली (पेज 25 एंव 26) के अनुसार संबंधित टेबल मे आवश्यक संशोधन कर शीघ्र रिपोर्टो को जमा करने की समझाईश दी गयी। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट दर्शा कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जावेगी। राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने निर्देश दिये गये कि संबंधित अधिसूचना के अनुसार समिति की पूर्व बैठकों में जो सुझाव दिये गये थे उनको समावेश करते हुये जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जमा करवा सकते है। इस दौरान खनिज अधिकारियों द्वारा बैठक के दौरान उठाये गये प्रश्नों पर भी चर्चा की गयी एंव उनका शंका समाधान भी किया गया। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, खनिज अधिकारी एंव श्री दीपक सोलंकी, सहायक भू–वैज्ञानिक को भी समिति ने निर्देशित किया कि वे अपने स्तर पर भी जिले के सभी खनिज अधिकारियों को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन, 2016, इंफोर्समेंट मॉनिटरिंग फॉर सेंड माईनिंग गाईडलाईन, 2020 तथा अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित प्रपत्र अनुसार प्रस्तुत करें ताकि बार–बार संशोधनों की आवश्यकता न पड़े । सवंबंधित खनिज अधिकारी / प्रभारी खनिज अधिकारी / खनिज निरीक्षक के द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के पश्चात् निम्नानुसार अनुशंसायें की गई :–

10. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट दमोह – श्री मेजर सिंग जमरा, खनिज अधिकारी –

1. तालिका क0. 18 जिसमें प्री–मानसून के अन्तर्गत रेत की उपलब्ध मात्रा लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ–साथ दर्शायी गयी है की गणना सही प्रतीत होती है, परन्तु तालिका 19 मे पोस्ट'मानसून के अन्तर्गत रेत की उपलब्धता की गणना की गयी है। इस तालिका के कॉलम (4) मे खदान की लंबाई किलोमीटर यूनिट में दर्शायी गयी है। सही प्रतीत नही होती क्योंकि प्री–मानसून मे जिस खदान की लंबाई पोस्ट मानसून मे 3 किलोमीटर दिखाई गयी है। यह कैसे संभव है? अत एव तालिका क0. 19 को पुनरिक्षित करें एंव पुनः सभी लीजों की लंबाई को चेक करें। इसी आधार पर तालिका क0. 20 को एंव अन्य भी संबंधित तालिकाओं को पुनरिक्षित करें।

2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना मे रेत खदानों की जिला सर्वेक्षण रिनोर्ट तैयार करने के लिये जो तालिका मे दी गयी है जिसमें अंतिम तालिका जिसमें नदी–वार एंव लीज–वार सभी को सम्मिलित की जाना है जिसमें प्रत्येक लीज की लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ लीजों मे रेत की उपलब्ध

मात्रा की गणना की जाना है तत्पश्चात् उपलब्ध मात्रा की 60% मिनरल पोटेंशियल ही दर्शाया जाना है। इस तालिका का जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल नही किया गया है। अत एंव इस महत्वपूर्ण तालिका को तैयार करें एंव इसका ध्यान रखें कि प्री–मानसून, पोस्ट मानसून एंव अन्य तालिकाओं में जहां भी लीजों की लंबाई– चौड़ाई का उल्लेख होता है वहां समरूपता रहे।

3. रेत खदानों के विवरणों मे तालिका क्र0. 3 में लीजों के मात्र (Coordinate) ही दर्शाये गये है। अतएव 04–.04 Coordinates दर्शाये। जिससे एक Polygon बन सके।
4. विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है
5. इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों के को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।
6. मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में भी दर्शाये ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि दमोह जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रेत खनिज (संशोधित) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। उपस्थित श्री मेजर सिंग जमरा, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर प्रस्तुत करें ।

11. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट नर्मदापुरम (गौण खनिज)– श्री शशांक शुक्ला, खनिज अधिकारी एवं सुश्री अर्चना ताम्रकार, खनिज निरीक्षक –

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– नर्मदापुरम के पत्र क्रमांक 460 दिनांक 01/08/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – नर्मदापुरम की हार्ड कापी सेक को प्राप्त हुई थी, जिसमें यह उल्लेखित है कि इस रिर्पोट को जिला सूचना केन्द्र के बेव पोर्टल पर 21 दिन की अवधि हेतु अपलोड किया गया तथा जिला के सर्वेक्षण रिपोर्ट में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रारूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को किस दिनांक की बैठक में किया गया इसका उल्लेख नही किया गया। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 03/08/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 588 वीं बैठक दिनांक 16/08/22 में प्रस्तावित की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, नर्मदापुरम की ओर से खनिज अधिकारी श्री शंशाक शुक्ला एंव खनिज निरीक्षक सुश्री अर्चना ताम्रकार ऑनलाईन उपस्थित हुये जिसमें पाया गया किः–

(1) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न0. 22 मे अंतिम पेराग्राफ मे किसी प्लांट, क्षेत्र की रूफ वाटर हार्वेस्टिंग संबंधित जानकारी दी है, जो कि संबंधित नही है। इसी प्रकार पेज न0. 23 मे ई.एम.पी. क्रियान्वयन संबंधित जानकारी भी डी.एस.आर से संबंधित नही है। अतएव कृपया सावधानीपूर्वक निरीक्षण करके ही जानकारी प्रस्तुत करें।

(2) चेप्टर 20, पेज न0. 39 के अन्तर्गत जो इको सेंसिटिव जोन की जानकारी दी है जिसमें उल्लेखित है कि सतपुड़ा टाईगर रिजर्व, पचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण एंव बोरी वन्य प्राणी अभ्यारण ई.एस.जेड के अन्तर्गत आते है। चॅूकि ई.एस.जेड. अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र होते है, अतएव इसके साथ इसकी सीमायें एंव आने वाले गांवों की सूची भी प्रस्तुत करें, संबंधित ईको सेंसेटिव जोन का नोटिफिकेशन प्रस्तुत किया जाये एंव यदि कोई स्वीकृत खदान इन संवेदनशील मे आती हो तो इसका भी उल्लेख करे।

(3) गौण खनिज के प्रकरणों मे पूर्व से पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों की निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्व कितना पौधारोपण किया गया है इसको भी सम्मिलित करें।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि नर्मदापुरम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रेत खनिज (संशोधित) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। तत्संबंध में उपस्थित खनिज निरीक्षक सुश्री अर्चना ताम्रकार को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर प्रस्तुत करें ।

12. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट नर्मदापुरम (रेत खनिज)– श्री शशांक शुक्ला, खनिज अधिकारी एवं सुश्री अर्चना ताम्रकार, खनिज निरीक्षक –

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के पत्र क्रमांक 460 दिनांक 01/08/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – नर्मदापुरम की हार्ड कापी सेक को प्राप्त हुई थी, जिसमें यह उल्लेखित है कि इस रिर्पोट को जिला सूचना केन्द्र के बेव पोर्टल पर 21 दिन की अवधि हेतु अपलोड किया गया तथा जिला के सर्वेक्षण रिपोर्ट में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रारूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को किस दिनांक की बैठक में किया गया इसका उल्लेख नही किया गया। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 03/08/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 588 वीं बैठक दिनांक 16/08/22 में प्रस्तावित की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, नर्मदापुरम की ओर से खनिज अधिकारी श्री शंशाक शुक्ला एंव खनिज निरीक्षक सुश्री अर्चना ताम्रकार ऑनलाईन उपस्थित हुये जिसमें पाया गया कि :–

(1) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के मूलभूत तालिकाओं का समावेश नही किया गया है जिससे जिले की नदियों मे उपलब्ध रेत की मात्रा का अनुमान लगता है जैसे तालिका

- *मुख्य नदियों के विवरण सहित निवासी प्रणाली को प्रदर्शित करने वाली तालिका।*
- *महत्वपूर्ण नदियों और धाराओं की मुख्य विशेषता प्रदर्शित करने वाली तालिका।*
- *खनिज छुट के लिये सिफारिश किया गया नदी की धारा का भाग।*
- *खनिज क्षमता को प्रदर्शित करने वाली तालिका वार्षिक जमाव सहित।*
- *नदीवार एंव लीजवार सभी खदानों को सम्मिलित करके प्रत्येक लीज की लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ लीजो मे रेत की उपलब्ध मात्रा की गणना की जाना है तत्पश्चात् उपलब्ध रेत मात्रा की 60 प्रतिशत मिनरल पोटेंशियल भी दर्शाया जाना है। इस तालिका का रिपोर्ट मे शामिल अन्य तालिकाओं मे सुसंगत सामांजस्य रखते हुये तैयार करना है एंव इस बात का ध्यान रखा जायें कि (प्री मानसून एंव पोस्ट मानसून मे लीजों मे उपलब्ध रेत की मात्रा का उल्लेख करें लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ) यहां और अन्य तालिकाओं मे जहां भी लीजो की लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई का उल्लेख हो वहां समरूपता रहे।*
- विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।
- मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में भी दर्शाये ।
- इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों के को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि नर्मदापुरम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रेत खनिज (संशोधित) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर प्रस्तुत करें ।

13. <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बड़वानी (रेत खनिज)– श्री शांतिलाल निनामा, खनिज निरीक्षक–</u>

1. तालिका क0. 23 के अन्तर्गत लीजवार लंबाई, चौड़ाई के साथ जो 60: मिनरल पोटेंशियल दर्शाया गया है। इस तालिका मे उसमें गहराई दर्शाते हुये रेत की मात्रा दर्शायें एंव इसकी मात्रा का 60: मात्रा को दर्शावें।
2. इसी प्रकार तालिका क0. 24 मे जो नदी–वार एंव लीज–वार आंकडे (लंबाई ग चौड़ाई के साथ) दर्शायें गये तत्पश्चात् प्राप्त क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत मिनरल पोटेंशियल बताया गया है इसमें

गहराई भी दर्शायें एंव तत्पश्चात् प्राप्त मात्रा (टवसनउम) का 60 प्रतिशत मिनरल पोटेंशियल के रूप में प्रदर्शित करें। यह प्रक्रिया समस्त नदी–वार लीजों की जानकारी में समाहित करें एंव तालिका क्र0. 24 करे पुनरिक्षित करें।

3. तालिका क्र0. 17 एंव 18 में प्री–मानसून प्रदाय की रेत की मात्रा में लीजवार (60ः टोटल मिनरल पोटेंशियल) (लंबाई एंव चौड़ाई के) साथ नही दी गयी है। अतएव उक्त दोनों तालिकाओं को पुनरिक्षित करें।
4. विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।
5. मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में भी दर्शाये ।
6. इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों के को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रेत खनिज (संशोधित) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित खनिज निरीक्षक सुश्री अर्चना ताम्रकार को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर प्रस्तुत करें ।

14. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट आगर मालवा (अन्य गौण खनिज)– श्री सतीश मिश्रा, प्रभारी खनिज अधिकारी –

- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नही दी गई है। जानकारी के लीजवार शामिल कर अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि आगर–मालवा जिले जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, गौण खनिज को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। उपस्थित श्री सतीश मिश्रा, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर प्रस्तुत करें ।

15. <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रतलाम (रेत खनिज)– सुश्री आकांक्षा पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी –</u>

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि रतलाम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में भी दर्शाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। बैठक में उपस्थित सुश्री आकांक्षा पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर प्रस्तुत करें ।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'
Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    f. Lease owner's Name, Contact details etc.

g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
i. Minable Potential of sand mine.
j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
k. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

    नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौघों की ऊॅचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊॅचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुॅआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'
Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    l. Lease owner's Name, Contact details etc.
    m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    o. Minable Potential of sand mine.
    p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    q. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'
General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

35. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained